BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना

सीमाओं से परे आकांक्षाओं को साकार करना

27 नवंबर, 2026

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रति वर्ष 20 छात्रवृत्तियाँ प्रदान कर विदेशों में उच्च शिक्षा तक उनकी पहुँच का विस्तार कर रही है। इसमें महिला उम्मीदवारों के लिए 30% छात्रवृत्तियाँ निर्धारित किए जाने से वैश्विक शिक्षा के अवसरों तक समावेशी पहुँच को प्रोत्साहन मिला है। 2026-27 से यह योजना क्यूएस (क्वाक्वेरेली साइमंड्स) रैंकिंग प्राप्त विश्वविदयालयों में से शीर्ष 1,000 विश्वविद्यालयों में मास्टर और पीएचडी (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी) की पढ़ाई के लिए सहायता प्रदान कर रही है। महिला लाभार्थियों की हिस्सेदारी 2015-16 में 20% थी जब चुने गए 15 उम्मीदवारों में से 3 महिलाएं थीं। यह हिस्सेदारी 2024-25 में बढ़कर 47.8% हो गई। 2024-25 में चुने गए 23 उम्मीदवारों में से 11 महिलाएं थीं। वित्तीय सहायता राशि 2015-16 के ₹ 0.39 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹8.00 करोड़ हो गई है जो सरकार के लगातार बढ़ते हुए समर्थन को प्रदर्शित करता है।

वैश्विक शिक्षा के खुलते द्वार

उच्च शिक्षा ज्ञान, अवसरों और पेशेवर तरक्की के रास्ते खोलती है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2023-24 के अनुसार उच्च शिक्षा में नामांकित अनुसूचित जनजाति छात्रों की संख्या 28,83,218 है, जो 2019-20 के 21,56,109 के आंकड़े के मुकाबले बहुत अधिक है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए विशेष ज्ञान, उन्नत शोध के अवसरों और वैश्विक शैक्षणिक अनुभव तक पहुँच प्रदान करती है। विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करने से शैक्षणिक दायरा बढ़ता है, पेशेवर क्षमताएँ मजबूत होती हैं और करियर के विविध अवसर मिलते हैं। ऐसे अवसर अनुसूचित जनजाति छात्रों को अपने सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं, साथ ही वे अपने समुदाय और देश के विकास में भी योगदान दे पाते हैं।

वैश्विक शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाने के महत्व को समझते हुए अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए चलाई जा रही राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य मेधावी जनजातीय छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देना है। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 1954-55 से चल रही है। इस योजना के तहत हर साल प्रतिष्ठित संस्थानों में मास्टर और पीएचडी की पढ़ाई के लिए 20 नई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसे विदेशों में स्थित विदेश मंत्रालय के भारतीय दूतावासों/मिशनों के माध्यम से लागू किया जाता है।

समय के साथ इस योजना का काफी विस्तार हुआ है। इससे अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाने पर दिए जा रहे बल का पता चलता है। योजना में 2010-11 में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्रों में 15 छात्रवृत्तियां दी जाती थीं जबकि अब अध्ययन के चार अलग-अलग क्षेत्रों में हर साल 20 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। इस व्यापक दायरे से अनुसचित जनजाति छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के और अधिक रास्ते मिलते हैं।



अवसरों का विस्तार: एनओएस योजना पर एक नज़र

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए दुनिया भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों के दरवाजे खोलती है। यह योजना क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 1,000 में शामिल विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मास्टर और पीएचडी के अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करती है। इसमें अध्ययन के चार मुख्य क्षेत्र शामिल हैं, और हर क्षेत्र के लिए सीटों की एक निश्चित संख्या तय है।

योजना के अंतर्गत शामिल विषय और सीटें :

अध्ययन का क्षेत्र	सीटों (स्लॉट) की संख्या
शुद्ध/अनुप्रयुक्त विज्ञान/ इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी/गणित (STEM)	10
प्रबंधन, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून	04
कृषि/चिकित्सा	04
मानविकी/सामाजिक विज्ञान/ललित कला	02

हर साल दी जाने वाली 20 छात्रवृत्तियों में से 17 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए हैं, जबकि 3 सीटें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजीएस) के लिए आरक्षित हैं। इस आवंटन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदायों के छात्रों को भी शिक्षा के अवसर मिल सकें।

यह योजना अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर देती है, जिसके तहत 30% छात्रवृत्तियाँ महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। 2015-16 में इस योजना के लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 20% थी (चयनित 15 में से 3), जो 2024-25 में बढ़कर 47.8% (चयनित 23 में

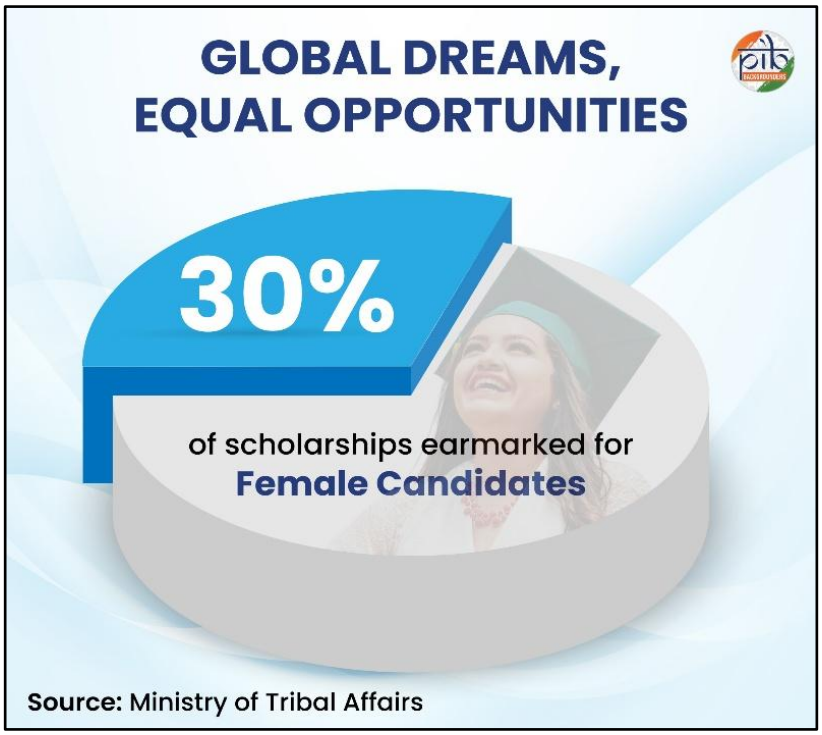

से 11) हो गई। यदि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें योग्य पुरुष उम्मीदवारों को आवंटन के लिए दे दिया जाता है।

पाठ्यक्रम/शोध पूरा होने तक या पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक (जो भी पहले हो), वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अधिकतम अवधि
1	पीएच.डी.	4 वर्ष (चार वर्ष)
2	मास्टर्स डिग्री	1 या 2 वर्ष (एक/दो वर्ष) - यह कोर्स के प्रकार और अवधि पर निर्भर करेगा

अवसरों की राह: पात्रता और चयन मानदंड

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना योग्य अनुसूचित जनजाति छात्रों को अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा तक पहुँचने में मदद करने के लिए पात्रता का व्यवस्थित ढांचा प्रदान करती है। इन मानदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी को शैक्षिक अवसरों तक समान पहुँच मिले।

योग्यता

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अंक और शैक्षिक योग्यता	चयन वर्ष की 1 जुलाई को अधिकतम आयु
1	पीएच.डी.	संबंधित मास्टर्स डिग्री में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड	35 वर्ष
2	मास्टर्स डिग्री	संबंधित स्नातक डिग्री में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड	32 वर्ष

छात्र सीधे विदेशी विश्वविद्यालयों में आवेदन करते हैं और वहां अपने अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की माँग करते हैं। पहली प्राथमिकता उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिनके पास शीर्ष 1,000 रैंक वाले विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों (नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार) से प्रवेश का प्रस्ताव है, और जिन्होंने आवेदन की तारीख तक उस

संस्थान में दाखिला नहीं लिया है। संस्थान की रैंकिंग के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। यदि दो या अधिक उम्मीदवारों के संस्थानों की क्यूएस रैंकिंग एक समान हो जाती है, तो प्रावीण्य सूची का फैसला उम्मीदवार द्वारा योग्यता परीक्षा (क्वालिफाइंग परीक्षा) में प्राप्त अंकों/ग्रेड के आधार पर किया जाएगा जिसके आधार पर उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की माँग की गई है।

एक परिवार से एक बच्चा और एक बार सहायता

एक परिवार का केवल एक बच्चा इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र है, जिसके लिए आवेदक को स्व-प्रमाणन देना होगा। प्रत्येक उम्मीदवार इस छात्रवृत्ति का लाभ केवल एक बार उठा सकता है और इस योजना के तहत उसी या उच्च स्तर की कोई अन्य सहायता प्राप्त नहीं कर सकता।

आय मानदंड

छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

चयन

2026-27 से पहली प्राथमिकता उन उम्मीदवारों को दी जा रही है जिनके पास किसी ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रवेश का प्रस्ताव है जो नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 1,000 संस्थानों में शामिल हैं और जिन्होंने अभी तक वहां दाखिला नहीं लिया है। इन उम्मीदवारों को संबंधित संस्थान की क्यूएस रैंकिंग के आधार पर वरीयता दी जाएगी। यदि किन्हीं उम्मीदवारों के संस्थानों की रैंकिंग समान होती है, तो उनकी योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। यदि इसके बाद भी कोई सीट खाली रह जाती है तो मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से उन्हें भरा जाएगा। इस प्रक्रिया में उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने जीआरई (ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन), जीएमएटी (ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट) या टीओईएफएल (विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी की परीक्षा) जैसी परीक्षाएं पास कर ली हैं। चयनित उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी पत्र मिलने के दो वर्षों के भीतर किसी पात्र संस्थान में प्रवेश लेना होगा और वहां अध्ययन शुरू करना होगा।

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (एनओएस) पोर्टल

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन, विशेष रूप से बनाए गए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। यह पोर्टल योजना के दिशा-निर्देशों, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे आवेदन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है। डिजीलॉकर के साथ जुड़े होने के कारण, आवेदक अपने मौजूदा दस्तावेजों को डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अन्य दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। पंजीकृत छात्र सीधे इस पोर्टल के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं या शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। एक स्वचालित सूचना प्रणाली एसएमएस और ईमेल अलर्ट के जरिए समय पर सूचनाएं प्रदान करता है, जबकि एक एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से इस योजना की प्रभावी निगरानी की जा सकती है।

आकांक्षाओं में निवेश: एनओएस के तहत वित्तीय सहायता

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जनजाति छात्रों को विदेश में उनके पूरे अध्ययन के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में अध्ययन करने वाले छात्रों को क्रमशः 15,400 अमेरिकी डॉलर या 9,900 ब्रिटिश पाउंड का वार्षिक भरण-पोषण भत्ता दिया जाता है। अन्य देशों के लिए यह भत्ता अमेरिकी डॉलर में या उसके बराबर की राशि में दिया जाता है। इसके अलावा किताबों, जरूरी उपकरणों, अध्ययन भ्रमण, टाइपिंग और थीसिस बाइंडिंग जैसे खर्चों के लिए 1,532 अमेरिकी डॉलर या 1,116 ब्रिटिश पाउंड का वार्षिक आकस्मिक और उपकरण भत्ता भी दिया जाता है।

इस छात्रवृत्ति में शिक्षण संस्थानों द्वारा लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क और अन्य अनिवार्य, वापस न होने योग्य शुल्क भी शामिल है। साथ ही इसमें वास्तविक वीजा शुल्क और लागू होने वाले अन्य करों का खर्च भी शामिल किया जाता है। चिकित्सा बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति भी वास्तविक दरों पर कर दी जाती है, बशर्ते संबंधित भारतीय दूतावास या मिशन द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया हो। यात्रा के दौरान होने वाले आकस्मिक खर्चों के लिए अधिकतम 20 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर भारतीय रुपये की राशि दी जा सकती है।

इस योजना में भारत से विदेश स्थित शैक्षणिक संस्थान के सबसे करीबी स्थान तक जाने और वापस आने के लिए इकोनॉमी श्रेणी का हवाई किराया प्रदान किया जाता है। हवाई किराए की भरपाई वास्तविक लागत के आधार पर की जाती है, जिसमें सबसे छोटे रास्ते और सबसे किफायती किराए को ध्यान में रखा जाता है। हवाई यात्रा के गंतव्य स्थान से अध्ययन स्थल तक जाने के लिए स्थानीय यात्रा की सुविधा भी दी

गई है जिसमें द्वितीय श्रेणी रेल किराया शामिल है। जहाँ रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ बस, फेरी या आगे की हवाई यात्रा के खर्चों को भी तय नियमों के अनुसार कवर किया जाता है।

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। वितरित की गई राशि 2015-16 में 0.39 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 8.00 करोड़ रुपये हो गई है। यह विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। एक वर्ष में सहायता पाने वाले छात्रों की संख्या (नए और पहले से पढ़ाई कर रहे छात्र) 2013-14 में 8 थी, जो 2025-26 में बढ़कर 64 हो गई। इस पूरी अवधि के दौरान कुल 400 छात्रों को सहायता प्रदान की गई है। 2014-15 से मंत्रालय ने इस योजना के तहत पात्र अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए ₹46.46 करोड़ जारी किए हैं।

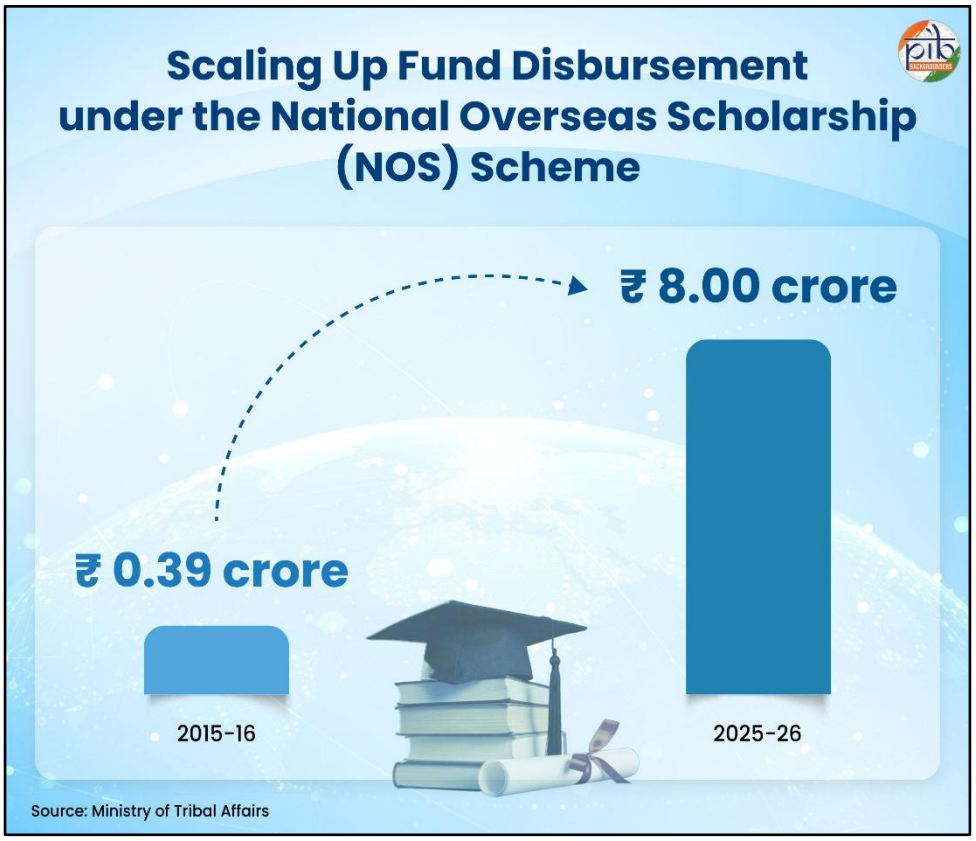

पहुँच का विस्तार

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना ने पूरे भारत के अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए हैं। पूरे भारत में लागू यह एक केन्द्रीय योजना है, जिसके तहत हर साल 20 नई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसमें सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र आवेदन कर

सकते हैं। इसके लिए कोई राज्य-वार या जिला-वार सीटों या धनराशि का राज्यवार अथवा जिलावार आवंटन नहीं किया जाता है। यह आदिवासी छात्रों के लिए विदेशी शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने की सरकार की निरंतर कोशिशों को दर्शाता है।

सीमाओं से परे: जनजातीय आकांक्षाओं को साकार करना

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। आर्थिक बाधाओं को कम करके, यह योजना योग्य आदिवासी युवाओं को विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा और शोध के अवसर पाने में मदद करती है। वैश्विक शैक्षणिक माहौल में रहने से उनका विशेष ज्ञान बढ़ता है, पेशेवर क्षमताएँ निखरती हैं और करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलते हैं। ये अवसर सामाजिक-आर्थिक तरक्की को बढ़ावा दे सकते हैं और जनजातीय छात्रों की आने वाली पीढ़ियों को उच्च शिक्षा के सपने देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

हर चयन प्रक्रिया की घोषणा राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति पोर्टल पर की जाती है। अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र इस पोर्टल पर जाकर आवेदन की तारीखें देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। वैश्विक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाकर, यह योजना जनजातीय समुदायों के समावेशी शैक्षिक विकास में मदद करती है और विकसित भारत के विजन में अपना योगदान देती है।

संदर्भ

जनजातीय कार्य मंत्रालय:

https://tribal.nic.in/downloads/guidelines/NOS/RevisedGuidelinesNOS07102022.pdf
https://tribal.nic.in/downloads/faqs/FAQsNOS2026-27.pdf
https://tribal.nic.in/Scholarship.aspx
https://overseas.tribal.gov.in
https://tribal.nic.in/downloads/statistics/AnnualReport/AR2010-11.pdf
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159092&reg=48&lang=2
https://tribal.gov.in/uploads/2026/10/c53ef064-f55d-4fbc-9e85-599b645d81a3.pdf
https://tribal.nic.in/downloads/faqs/InstructionManual-NOS-2025-26.pdf
https://tribal.nic.in/downloads/guidelines/NOS/Amendment_NOS-2627.pdf
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2205837&lang=2
https://tribal.nic.in/downloads/scholarship/NFS/AnnexureII-FundReleasenBeneficiaries4CSSScholarship4FY2023-14to2025-26.pdf

शिक्षा मंत्रालय

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s392049debbe566ca5782a3045cf300a3c/uploads/2026/07/202607131602421770.pdf

PIB रिसर्च

पीके/केसी/आरटी/एए